



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

**U. P. Power Corporation Limited**

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : 32—उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / 2018—०७—विविध(२ब) / 2018

दिनांक: 26 सितम्बर, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के का०ज्ञा०सं०—५९—उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / 2015 दिनांक 15.10.2015 द्वारा श्री अनिल कुमार (2001093) को अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया था, को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्धल विद्युत वितरण निगम लिंग, मेरठ को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

2— परिषदादेश संख्या 1849—का.वि.नि./रा.वि.प.—२९/९७—१४काविनी/८७ दिनांक 8 अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री अनिल कुमार (2001093) को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री संजय कुमार चौरसिया (2002062) की अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के दिनांक 22.09.2014 से नोशनल प्रोन्नति माने जाने के आदेश किये जाते हैं। इस नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री अनिल कुमार (2001093), का वेतन उनके कनिष्ठ श्री संजय कुमार चौरसिया (2002062), अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 22.09.2014 से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 22.09.2014 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

3— यह भी आदेश किये जाते हैं कि का०ज्ञा०संख्या—४४०—काविनी/पाकालि—२९/२००० दिनांक १—६—२००० में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी।

4— उपर्युक्त प्रोन्नत अभियन्ता की तैनाती ग्रामीण क्षेत्रों में ही विशेषकर ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहाँ सौभाग्य योजना का कार्य अभी वृहद रूप से किया जाना शेष है।

5— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21—३—२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

6— सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

7— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०—५९१०—गोपन/पाकालि(०६)—२००१ दिनांक 11—६—२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

8— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

9— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900—प्रशि०—१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

10— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

11— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

27/10/18

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.....2.....



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

**U. P. Power Corporation Limited**

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



-2-

संख्या: 32(1)अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2018 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— मार्गा ऊर्जा/ ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
  - 2— अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक/ समस्त निदेशक/ अपर सचिव (प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
  - 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्रल, आगरा/ मध्यान्ध्रल, लखनऊ/ पूर्वान्ध्रल, वाराणसी/ पश्चिमान्ध्रल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ केस्को, कानपुर।
  - 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/ मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/ मुख्य महा प्रबन्धक/ महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
  - 5— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
  - 6— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
  - 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/ लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
  - 8— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
  - 9— उप सचिव (प्रशिक्षण)/ (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
  - 10— सम्बन्धित अधिकारीगण/ वैयक्तिक पत्रावली/ कट फाइल/ नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

२०१८.